

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

आ0आ0सं-04/यो0बजट-45/2015- 42/आ0

ब0प0 राँची, दिनांक :- 17.6.2015

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में "वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें" (अन्य व्यय) के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों हेतु कुल 553.00 लाख (पाँच करोड़ तिरपन लाख) रुपये मात्र का आवंटन निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :- वन विभागीय पत्रांक 4/यो0बजट-45/2015-13/स्वी0 ब0प0 दिनांक-16.06.2015

महाराज,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक स्वीकृतिदेश के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में "वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें" (अन्य व्यय) के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों हेतु कुल 553.00 लाख (पाँच करोड़ तिरपन लाख) रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. तदनुसार उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न वर्णित लघुशीर्ष अंतर्गत/इकाईवार कुल 553.00 लाख (पाँच करोड़ तिरपन लाख) रुपये मात्र की राशि आवंटित की जाती है :-

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राथमिक इकाई	विषय कोड	बजटीय संबंध	स्वीकृत राशि	वर्तमान आवंटित राशि
1	"वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें"	मजदूरी	19P240601101470103	100.000	49.030	49.030
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601101470323	300.00	258.970	258.970
		मशीन एवं उपकरण	19P240601101470317	300.000	245.000	245.000
कुल राशि				700.000	553.000	553.000

ऑन-लाईन आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. प्रासंगिक व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जानेवाली "वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें" बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, उप शीर्ष-47-"वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें" के अंतर्गत संबंधित इकाई में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(Handwritten signatures and initials)

4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास द्वारा इस योजनातर्गत राशि का उप आवंटन आवंटित राशि के अन्तर्गत ही सीमित रखा जायेगा।
5. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी-पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
6. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं०-300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत्यादेश में निहित समस्त दिशा-निर्देशों का ससमय अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।
9. इस राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

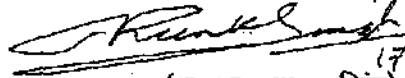
विश्वासभाजन,

अनु०-यथोक्त।

149
42/आ०
17.6.2015

17/6

17/6


(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

FOREST & ENVIRONMENT DEPARTMENT

पत्र वितीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नलिखित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 4/YB-45/2015/42A

दिनांक - 17-Jun

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601101470103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 47 . वन कार्यालयों को आधुनिकीकरण एवं 01 . वेतन एवं भो 03 . मजदूरी	43504	DRNFWL056 SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS ADDI.PCCF.DEV.JHAR KHAND RANCHI	4,903,000.00 रुपये उनचास लाख तीन हजार

2	P 19 240601101470317 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 47 . वन कार्यालयों को आधुनिकीकरण एवं 03 . प्रशासनिक व्यय 17 . मशीनरी एवं उपकरण	43507	DRNFWL056 SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS ADDI.PCCF.DEV.JHAR KHAND RANCHI	24,500,000.00 रुपये दो करोड पैतालीस लाख
---	--	-------	--	--

3	P 19 240601101470323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 47 . वन कार्यालयों को आधुनिकीकरण एवं 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	43509	DRNFWL056 SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS ADDI.PCCF.DEV.JHAR KHAND RANCHI	25,897,000.00 रुपये दो करोड अठायन लाख पित्तानवे हजार
---	---	-------	--	---

55,300,000.00

योग:
रुमिक योग: रुपये पाँच करोड तीरपन लाख


(ARUN KUMAR SINGH) 17.6.15

PRINCIPAL SECRETARY